

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRI. PRO. CODE,1973

In the Court of - देवरी. Magistrate..... मनोरम तिवारी Class..... प्रथम-श्रेणी

Case No. 368 of 2022 Complaint or report made on.....

Name and address of the complaint

आरक्षी केन्द्र- महाराजपुर बनाम बेगम

Name,parentage,caste and address of accused

नाम-बेगम

पति-जितेन्द्र कुचबदिया

उम्र-60 वर्ष

निवासी-आफतगंज समनापुर थाना महाराजपुर जिला सागर म.प्र.

The offence complained of, and date of, its alleged commission-कि आपने दिनांक-
31.05.2022 समय 20:00 बजे स्थान आरोपीया के मकान के सामने आफतगंज समनापुर देवरी में तीन लीटर
कच्ची महुआ की शराब अपने आधिपत्य में रखी। जो धारा 34(1)(क)आबकारी अधिनियम अंतर्गत दण्डनीय
अपराध है। क्या आप अपराध स्वीकार करते हो या विचारण चाहते हो।

(मनोरम तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवरी जिला-सागर

The plea of the accused and his examination(if any)

जुर्म स्वीकार है।

(मनोरम तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवरी जिला-सागर

The offence proved,if any, and in case under clause(d),clause(e),clause(f)or clause (g),of sub
section(i) of Section 260 the value of the property in respect of which offence has been committed

(निर्णय)

(आज दिनांक 12.10.2022 को घोषित)

1. आरोपी बेगम के द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर यह न्यायालय आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषी पाता है।
2. अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अतः दोषी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) (क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 700/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
3. अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने की दशा में दोषी को पन्द्रह दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाए।
4. प्रकरण में जप्तशुदा तीन लीटर कच्ची महुआ की शराब मूल्यहीन होने से नष्ट किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित
किया गया।

(मनोरम तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवरी जिला सागर

(मनोरम तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवरी जिला सागर

